पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
POWER FINANCE CORPORATION LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
(आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित) (ISO 9001:2015 Certified)

संख्या:1:05:138:II:सीएस

दिनांक: 20.09.2017

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई) मुंबई - 400 051.	**बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, निगमित सेवा विभाग, फ्लोर - 25, पीजे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001.**
कृपया ध्यान दें: सुश्री रेहाना डिसूज़ा, सहायक उपाध्यक्ष	**कृपया ध्यान दें: श्री अय्यर गोपालकृष्णन, महाप्रबंधक, निगमित सेवाएं**

विषय: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 31वीं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही।

महोदय/महोदया,

कृपया सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियामवली, 2015 के विनियम 30 के अनुसरण में आज अर्थात 20 सितंबर, 2017 को हुई कंपनी की 31वीं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही इसके साथ संलग्न है।

आपकी सूचना और रिकार्ड के लिए प्रति।

धन्यवाद,

भवदीय,

कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)

कंपनी सचिव

mb@pfcindia.com

<u>पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली</u>

तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली, दिल्ली-110004 में बुद्धवार 20 सितंबर, 2017 को पूर्वाहन 11.00 बजे से मध्याहन 12.00 बजे तक के दौरान आयोजित 31वीं वार्षिक आम सभा की प्रक्रिया

I. कंपनी सचिव ने शेयरधारकों और लेखा परीक्षकों का स्वागत किया तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों का शेयरधारकों से परिचय कराया।

II. अध्यक्ष ने शेयरधारकों और निदेशकों को संबोधित किया।

III. कंपनी सचिव ने अध्यक्ष को गणपूर्ति की उपस्थिति की पुष्टि की और अध्यक्ष ने बैठक के उपयुक्त होने की घोषणा की।

IV. कंपनी सचिव ने नोटिस, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उन पर निदेशक बोर्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरण/टिप्पणियां पढ़ीं।

V. कंपनी सचिव ने शेयरधारकों को सूचित किया कि सूचीकरण विनियमावली के प्रावधानों तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में कंपनी ने उन सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की थी जो अंतिम तारीख अर्थात 12 सितंबर, 2017 को सदस्य थे और उन्हें इसके लिए 17 सितंबर, 2017 से 19 सितंबर, 2017 तक तीन दिन का समय दिया गया था ताकि वे वार्षिक आम सभा की सूचना दिनांक 24 अगस्त, 2017 में उल्लिखित मदों पर अपना मत इलैक्ट्रोनिक माध्यम से दे सकें। श्री सचिन अग्रवाल, व्यवहारी कंपनी सचिव को ई-वोटिंग और भौतिक वोटिंग प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया था।

यह भी सूचित किया गया था कि जिन शेयरधारकों ने अपना मतदान इलैक्ट्रोनिक रूप से किया है, उन्हें बैठक में पुनः मतदान करने की आवश्यकता नहीं है।

VI. अध्यक्ष ने इस वार्षिक आम सभा की 24 अगस्त, 2017 की सूचना में निर्धारित कार्य व्यापार संबंधी प्रस्तावित संकल्पों का उद्देश्य और प्रभाव बताएं। उसके बाद, जिन शेयरधारकों ने इलैक्ट्रोनिक रूप से मतदान नहीं किया था, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे सभी संकल्प पद लिए जाने के बाद उपलब्ध कराए गए मतदान पत्र पर अपना मतदान करें और उसे ऑडिटोरियम में रखी मतपेटियों में डाल दें।

VII. यह सूचित किया गया था कि संवीक्षक श्री सचिन अग्रवाल, व्यवहारी कंपनी सचिव द्वारा मतदान की उचित जांच प्रक्रिया के बाद अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन कर लिए जाने पर, ई-वोटिंग प्रक्रिया सहित चुनाव प्रक्रिया के परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे।

VIII. वार्षिक आम सभा की सूचना के अनुसार कार्य व्यापार की निम्नलिखित मदों से संबंधित संकल्प संपादित किए गएः

साधारण कार्य व्यापार

1. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशक बोर्ड की रिपोर्टें और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना।

2. वित्तीय वर्ष 2016-17 के कुल लाभांश के रूप में अंतरित लाभांश की पुष्टि करना।

3. श्री अरुण कुमार वर्मा (डीआईएनः 02190047), जो बारी से सेवानिवृत्ति हुए और पात्र होने के नाते स्वयं की पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।

4. सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।

विशेष कार्य व्यापार

5. श्री राजीव शर्मा (डीआईएन: 00973413) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

6. श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (डीआईएनः 02271398) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

7. श्री सीताराम पारीक (डीआईएनः 00165036) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

8. श्री एन. बी. गुप्ता (डीआईएनः 00530741) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

9. भारत में और/अथवा भारत से बाहर निजी नियोजन आधार पर बांड/डिबेंचर/नोट/ऋण प्रतिभूतियां जारी करके 65,000/- करोड़ रुपए की निधियां जुटाना।

IX. अध्यक्ष ने संकल्पों पर और कंपनी के सामान्य कार्यचालन पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं और उनके उत्तर दिए।

X. शेयरधारकों ने संकल्पों पर अपना मतदान किया और मतपेटी में अपने मतपत्र डाले।

XI. कंपनी सचिव ने अध्यक्ष को धन्यवाद का प्रस्ताव रखा।

XII. तत्पश्चात अध्यक्ष ने बैठक की समाप्ति की घोषणा की।

****